

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 23-7-12

अधि.सं.-01/स्था.स्थाना./पद.-11-04/2011-3551/ दिनांक 28.08.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता(असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम/आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विनय कुमार सिन्हा 1769/01.01.57/पटना	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) मानव संसाधन विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	मानव संसाधन विभाग विभाग से सेवा वापस लेते हुए
2.	श्री अमरनाथ सिंह 1743/25.12.52/ बेगुसराय	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	
3.	श्री रामनिवास प्रसाद(अ.ज. जा.)/4428/04.05.69/ पू.चम्पारण	सचिव (प्राव.) मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल कम्पलेक्स जमशेदपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) बराज अंचल, गालूडीह	
4.	श्री सुधीर कुजूर(अ.ज.जा.) 4437/01.07.65/रामगढ़	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, जमशेदपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर(श्री रिपुसूदन प्रसाद के दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी)	
5.	श्री सोहन सेठ(अ.जा.) 3874/10.05.63/राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग	
6.	श्री चन्द्र भूषण सिन्हा 1681/19.11.55/भोजपुर	संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, राँची	सचिव (प्रावधिक) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	
7.	श्री सत्येन्द्र पाराशर 1719/21.09.53/राँची	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, राँची	सचिव (प्रावधिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर	
8.	श्री सुबोध कुमार सिन्हा 1777/24.01.54/ संथालपरगना	सचिव (प्रावधिक) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची	संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग, राँची	
9.	श्री शिवलाल राम(अ.जा.) 3862/10.11.62/वैशाली	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गुमला	
10.	श्री दीपक कुमार सिन्हा 1738/02.09.54/पटना	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अपने वर्तमान पद पर अतिरिक्त प्रचार में बने रहेंगे।

D:\PRAMOD\Notification June 2012\CE(Civil).docx

[Handwritten Signature]

1	2	3	4	5
11	श्री विश्वनाथ बोईपोई (अ.ज.जा.)/4446/ पू.सिंहभूमि/01.11.69	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गढ़वा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई बॉध अंचल, ईचा चालियामा	
12	श्री शिवशंकर माहेश्वरी 1704/मुंगेर/23.05.54	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई बॉध अंचल, ईचा चालियामा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में विभागीय मुख्यालय में योगदान देंगे।	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sheef
23.7.12
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 3551 रॉची, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Sheef
23.7.12
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3551 रॉची, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री(जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सवास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारियों (क्रमांक-12 छोड़कर) के माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

Sheef
23.7.12
(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)